[2018] 5 एस.सी.आर. 138

ए मैसर्स रवीची एंड कंपनी।

बनाम

भारत संघ (2018)की सिविल अपील संख्या 5964 सन 2018) बी जुलाई 03, 2018

[एसए बोबडे और एल नागेश्वर राव, जेजे]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 – मध्यस्थ की शक्ति – अपीलकर्ता को खनन ठेका देना – पक्षों के बीच सीसी विवाद – मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होने की तारीख से निर्णय की तारीख तक प्रतिभूति जमा को छोड़कर नुकसान पर ब्याज का अधिकार देना – उच्च न्यायालय ने अपील करने पर लंबित ब्याज के आदेश के संबंध में निर्णय को रद्द कर दिया। माना गया: ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न होता है क्योंकि दावेदार को नुकसान का हकदार पाया गया है और मध्यस्थता–पेंडेंट लाइट के लंबित होने के कारण उन बकाया राशियों से बाहर रखा गया है – इस प्रकार, ब्याज पेंडेंट लाइट के लिए दायित्व अनुबंध की किसी भी अवधि से या अनुबंध की शर्तों के दौरान उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन दावेदार को होने वाले नुकसान या नुकसान के मध्यस्थों द्वारा निर्धारण के दौरान – जब किसी विवाद को मध्यस्थ के निर्णय के लिए आरई भेजा जाता है, तो एक अनुबंध खंड जिसमें अग्रिम धन और सुरक्षा जमा पर ब्याज शामिल नहीं होता है, जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है, को मध्यस्थ को बाध्य करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है – मध्यस्थ के पास जहां उचित हो वहां ब्याज देने की शक्ति होती है – इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है – ब्याज का आदेश बहाल किया जाता है। अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा: मध्यस्थों ने दावेदार को विभिन्न कारणों से हुए नुकसान के कारण राशि दी है, मुख्य रूप से खनन पर प्रतिबंध के कारण। ये राशि अनुबंध के तहत देय किसी भी भुगतान के कारण नहीं दी जाती है, जो मध्यस्थता या 'लिस' के दौरान निर्धारित नुकसान पर दी जाती है। एक दावेदार किसी भी नुकसान के मुआवजे के रूप में नहीं बल्कि उसके कारण राशि से बाहर रखे जाने के लिए ब्याज का हकदार हो जाता है। जाहिर है, इस तरह के अनिर्धारित नुकसान के मामले में जांच के दौरान नुकसान का पता लगाने पर ब्याज का सवाल उठेगा। इस तरह के नुकसान पर मध्यस्थता शुरू होने से लेकर फैसले तक की अवधि के लिए ब्याज की दर बढ़ सकती है। इस प्रकार, ब्याज पेंडेंट लाइट के लिए दायित्व अनुबंध की किसी भी अवधि से, या अनुबंध की शर्तों के दौरान उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि दावेदार को होने वाले नुकसान या क्षति के मध्यस्थों द्वारा निर्धारण के दौरान उत्पन्न होता है। विशेष रूप से, ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न होता है क्योंकि दावेदार को नुकसान का हकदार पाया गया है और मध्यस्थता के लंबित होने के कारण उन बकाया राशियों से बाहर रखा गया है। [पैरा 11] [143– डी–जी]

1.2 मध्यस्थों ने 26.09.1988 से 23.03.2001 तक की अवधि के लिए जो कि दावेदार को देय राशि पर निर्णय की तारीख है, सही ढंग से ब्याज दंड दिया। निस्संदेह, इस तरह की शक्ति को एक मध्यस्थ में निहित माना जाना चाहिए जो साम्य करने की शक्ति का भी उपयोग करता है, जब तक कि समझौता स्पष्ट

रूप से मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकता है। एक समझौता जो ब्याज पर रोक लगाता है, अनिवार्य रूप से एक समझौता है कि पक्षकार निर्दिष्ट राशि पर ब्याज का दावा नहीं करेंगा। यह एक मध्यस्थ को इसे देने से नहीं रोकता है, जो कभी भी समझौते का पक्ष नहीं है। वर्तमान मामले को सामान्य नियम पर तय किया जाना चाहिए कि एक मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति है जब तक कि विशेष रूप से इसे देने से रोक नहीं दिया जाता है; और रोक स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। [पैरा 12] [143–एच; 144–ए–सी]

1.3 जब किसी विवाद को किसी मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जाता है, तो सामान्य खंड अनुबंध के खंड 16 (3) में निहित ऐसी प्रकृति की शब्द, जो पक्षकारो के लिए बाध्यकारी है, को मध्यस्थ को बाध्य करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ के पास जहां उचित हो, ब्याज देने की शक्ति होती है। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बहाल किया जाता है। [पैरा 18] [146–बी]

सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम जीसी रॉय [1991] 3

पूरक एससीआर 417: (1992) 1 एससीसी 508;

पोर्ट ऑफ कलकत्ता के लिए ट्रस्टी बोर्ड बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस एज

[1995] 6 पूरक एससीआर 327: (1996) 1 एससीसी 516; मदनानी

स्ट्रक्शन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।

[2009] 16 एससीआर 216: (2010) 1 एससीसी 549:

सईद अहमद एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

[2009] 10 एससीआर 841: (2009) 12 एससीसी 26; अधीक्षण

अभियंता और अन्य बनाम बी सुब्बा रेड्डी (1999] 2 एससीआर

880: (1999) 4 एससीसी 423; भारत संघ बनाम अंबिका कंस्ट्रक्शन [2016] 2 एससीआर 810: (2016) 6 एससीसी 36;

अंबिका कंस्ट्रक्शंस बनाम भारत संघ (2017) 14 एससीसी

323 – संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस

[1991] 3 पूरक एससीआर 417 को पैरा 13 [1995] 6 पूरक एससीआर 327 को संदर्भित पैरा 14[2009] 16 एससीआर 216 को पैरा 4[2009] 10 एससीआर 841 को संदर्भित पैरा 15

[1999] 2 एससीआर 880 को संदर्भित पैरा 16 (2017) को संदर्भित किया गया है। 2018 का 5964-5965।

गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 23.07.2015 और 05.11.2015 के निर्णय और आदेश से क्रमशः 2005 के एफए संख्या 189 और 2015 के सिविल आवेदन संख्या 3178 में क्रमशः के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहित पॉल, आयुष अग्रवाल, अनुग्राम नीरज एक्का, विकार सिंह बलोरिया, अपीलकर्ता के वकील।

उत्तरदातागण की ओर से विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, एके पांडा, सीनियर एडवोकेट, एके श्रीवास्तव, सुश्री सुषमा वर्मा, आयुष आनंद, शुभंदु आनंद, राज बहादुर, भरत सूद, श्रीकांत एन तेरदल, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय एस. ए. बोबडे, जे. द्वारा सुनाया गया। अनुमति दी गई।
2. ये सिविल अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 23.07.2015 के 2005 के एफए संख्या 189 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश और 2005 के एफए संख्या 189 में 2015 के एमसीए संख्या 3178 में 5.11.2015 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं। उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से उत्तरदाता -भारत संघ की अपील को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थों के आदेश को रद्द कर दिया और दावा संख्या 12 के संबंध में उनके द्वारा दी गई राशि को रद्द कर दिया। दावा संख्या 12 के तहत मध्यस्थों ने 30 लाख रुपये के पुरस्कार पर 12% की दर से ब्याज देने का आदेश दिया, जिसमें मेसर्स रवीची एंड कंपनी बनाम भारत संघ की राशि शामिल नहीं है। 26.09.1988 से 22.03.2001 तक 44,92,800/- रुपये प्रति वर्ष। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

3. अपीलकर्ता - मैसर्स रवीची एंड कंपनी और उत्तरदाता - भारत संघ ने 55,81,000/- रुपये की अनुमानित लागत से उदवाड़ा में पश्चिम रेलवे खदान से पत्थर की गिट्टी, टूटे हुए पत्थर के कुल, मलबे आदि के उत्खनन, ढेर और लोडिंग के लिए दिनांक 02.06.1981 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद, पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण अपीलकर्ता ने महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे से विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थों को नियुक्त करने का आग्रह किया। मध्यस्थता की कार्यवाही 26-09-1988 को शुरू हुई और 22-03-2001 को अधिनिर्णय पारित किया गया।

4. मुख्य अभियंता (सी एंड एस) श्री एनके गुप्ता और श्री आरके सिन्हा, निदेशक, वित्त, केआरसीएल की सदस्यता वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए 1,34,87,044 रुपये के दावे के मुकाबले कुल 76,43,800 रुपये का आदेश दिया। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए दावा संख्या 1-12 के लिए एक पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान विवाद दावा संख्या 12 यानी ब्याज के तहत दी गई राशि से संबंधित है। मध्यस्थों ने 26.09.1988 से 22.03.2001 तक 44,92,800/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि को छोड़कर क्षति के लिए अपीलकर्ता को 12% की दर से ब्याज देने का आदेश दिया।

5. इसके बाद अपीलकर्ता ने सिविल कोर्ट में दिनांक 22.03.2001 के फैसले के साथ 2001 का सिविल विविध आवेदन संख्या 22 दायर किया। सिविल कोर्ट द्वारा 1940 के मध्यस्थता अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 17 के तहत दिनांक 29.07.2004 के एक आदेश द्वारा न्यायालय का एक नियम बनाया गया था। उत्तरदाता ने सिविल न्यायालय के दिनांक 29–07–2004 के आदेश को अपील में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया और दावा संख्या 12 में मध्यस्थों के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत मध्यस्थों ने ब्याज दंड के रूप में 44,92,800 रुपये दिए थे। मध्यस्थों ने अपीलकर्ता के पक्ष में निम्नानुसार राशि दी: दावा संख्या 1 – 12 लाख रुपये, दावा संख्या 3 – 8 लाख रुपये और दावा संख्या 5 – 10 लाख रुपये और नुकसान की कुल राशि पर ब्याज (यानी 12 लाख रुपये + 8 लाख रुपये + 10 लाख रुपये = 30 लाख रुपये) सुरक्षा जमा की राशि को छोड़कर। इस प्रकार, 26.09.1988 से 23.03.2001 तक 30 लाख रुपये पर 12% की दर से ब्याज 44,92,800 रुपये हो गया।

6. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के दिनांक 23.07.2015 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुर्नविलोकन आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.11.2015 के निर्णय और आदेश के तहत पुर्नविलोकन आवेदन को खारिज कर दिया। वर्तमान एसएलपी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.07.2015 और 05.11.2015 के उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं।

7. इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है: क्या सामान्य अनुबंध खंड (इसके बाद "जीसीसी" के रूप में संदर्भित) के खंड 16 (3) (इसके बाद पुन: प्रस्तुत) ने मध्यस्थ की ब्याज दंड देने की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया है?

8. वर्तमान मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने खंड 16 (3) के अभिप्राय को प्रभावी करते हुए प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया। शर्तों के खंड में कहा गया है कि अग्रिम राशि, प्रतिभूति जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

मध्यस्थों ने अपने फैसले में प्रतिभूति जमा पर ब्याज देने से इनकार करने के लिए अनुबंध के खंड 16 (3) पर भरोसा किया है। मध्यस्थों ने कहा कि खंड 16 (3) के तहत जो इरादा था, वह अग्रिम धन, सुरक्षा जमा और अपीलकर्ता को देय राशि पर ब्याज देने से रोकता है, यह किसी भी तरह से ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है। 9. खंड 16 (1) और 16 (3), जो प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार पढ़े गए हैं: "16 (1): – ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा के साथ जमा की गई अग्रिम राशि को रेलवे द्वारा ठेकेदार द्वारा अनुबंध की उचित और विश्वसनीय पूर्ति के लिए सुरक्षा के हिस्से के रूप में रखा जाएगा। प्रतिभूति जमा करने के लिए शेष राशि, जिसकी दरें नीचे दी गई हैं, ठेकेदार द्वारा नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमा की जा सकती है या ठेकेदार के 'ऑन अकाउंट' बिलों से प्रतिशत कटौती द्वारा वसूल की जा सकती है। यह भी प्रावधान है कि चूककर्ता ठेकेदार के मामले में रेलवे लंबित 'ऑन अकाउंट बिलों' पर ठेकेदार को भुगतान के लिए देय किसी

भी राशि को अपने पास रख सकता है ताकि इस प्रकार रखी गई राशि संविदा के कुल मूल्य के 10% से अधिक न हो। "16 (3): – अनुबंध के तहत बयाना राशि और प्रतिभूति जमा या ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन इस खंड के उपखंड (1) के संदर्भ में जमा सरकारी प्रतिभूतियां उस पर अर्जित ब्याज के साथ देय होंगी।

10. भारत संघ की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थ खंड 16 (3) के कारण मध्यस्त ब्याज लंबित नही दे सकते थे। यह तर्क गलत है। प्रथम दृष्टया यह खंड ब्याज दर से संबंधित नहीं है। शर्तों के अनुसार, यह खंड केवल अग्रिम धन और प्रतिभूति जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर ब्याज पर रोक लगाता है। उपर्युक्त राशि वे राशियां हैं जो एक अर्थ में ठेकेदार की हैं। वे अनुबंध के प्रदर्शन के आधार पर वापस या जब्त किए जाने के लिए अन्य अनुबंध पक्ष के साथ स्वेच्छा से जमा की गई राशि हैं। इस प्रकार वे ऐसी राशि नहीं हैं जिनमें से ठेकेदार को उसकी इच्छा के विरुद्ध उपयोग से वंचित किया जाता है, ताकि ब्याज को आकर्षित किया जा सके। हमारे समक्ष सरकार का यह मामला नहीं है कि ठेकेदार को तीनों मदों में से किसी के तहत ब्याज दिया गया है। न ही वर्तमान मामले में सरकारी प्रतिभूति पर देय ब्याज का कोई प्रश्न उठता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क यह है कि समझौते में उपर्युक्त खंड मध्यस्थों को ब्याज देने से रोकता है। सामान्य रूप से पढ़ने पर हम पाते है कि ऐसी कोई रोक नही है।
11. वास्तव में, मध्यस्थों ने दावेदार को विभिन्न कारणों से हुए नुकसान के कारण राशि प्रदान की है, मुख्य रूप से खनन पर प्रतिबंध के कारण। ये राशि अनुबंध के तहत देय किसी भी भुगतान के कारण नहीं दी जाती है, बल्कि मध्यस्थता या 'लिस' के दौरान निर्धारित नुकसान पर दी जाती है।
एक दावेदार किसी भी नुकसान के मुआवजे के रूप में नहीं बल्कि उसके कारण पैसे से बाहर रखे जाने के लिए ब्याज का हकदार हो जाता है। जाहिर है, इस तरह के अनिर्धारित नुकसान के मामले में, मुकदमे के दौरान नुकसान का पता लगाने पर ब्याज का सवाल उठेगा। इस तरह के नुकसान पर मध्यस्थता शुरू होने से लेकर फैसले तक की अवधि के लिए ब्याज की दर बढ़ सकती है।
इस प्रकार,लंबित ब्याज के लिए दायित्व अनुबंध की किसी भी अवधि से, या अनुबंध की शर्तों के दौरान उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि दावेदार को होने वाले नुकसान या क्षति के मध्यस्थों द्वारा निर्धारण के दौरान उत्पन्न होता है। विशेष रूप से, ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न होता है क्योंकि दावेदार को नुकसान का हकदार पाया गया है और मध्यस्थता के लंबित होने के कारण उन बकाया राशि यों से बाहर रखा गया है।

12. इसलिए, हमारा विचार है कि मध्यस्थों ने 26.09.1988 से 23.03.2001 तक की अवधि के लिए दावेदार को देय राशि पर उचित रूप से ब्याज देने का आदेश दिया। निस्संदेह, इस तरह की शक्ति को एक मध्यस्थ जो इक्विटी करने की शक्ति का भी उपयोग करता है, जब तक कि समझौता स्पष्ट रूप से मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकता है। एक समझौता जो ब्याज पर रोक लगाता है, अनिवार्य रूप से एक समझौता है कि पार्टियां निर्दिष्ट राशि पर ब्याज का दावा नहीं करेंगी। यह एक मध्यस्थ को इसे देने से नहीं रोकता है, जो कभी भी समझौते का पक्षकार नहीं है। इस मामले में, हमें यह तय करने के लिए नहीं कहा गया है कि क्या पक्षकार इस बात से सहमत हो सकते हैं कि वे मध्यस्थता के दौरान निर्धारित अनिर्धारित नुकसान के संबंध

में भी ब्याज का दावा नहीं करेंगे। वर्तमान मामले को सामान्य नियम पर तय किया जाना चाहिए कि एक मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति है जब तक कि विशेष रूप से इसे देने से रोक नहीं दिया जाता है; और रोक स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए।

13. सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम जीसी रॉय मामले में इस न्यायालय ने मध्यस्थ की ब्याज दर देने की शक्ति के प्रश्न पर गहन विचार किया और कहा कि जब पक्षकारो के बीच समझौता ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जहां पक्षकार ब्याज का दावा करता है और उस विवाद को मध्यस्थ के पास भेज दिया गया है, तब मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति होती है।

14. इसके बाद, इस न्यायालय ने पोर्ट ऑफ कलकत्ता के न्यासी बोर्ड बनाम इंजीनियर्स–डी–स्पेस एज 2 और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 3 के मामलों में कहा कि सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य (सुप्रा) के मामले में लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार, मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति है। अदालत ने कहा कि यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक खंड में निष्कासन पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि जब तक कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है जो यह प्रदान करता है कि मध्यस्थ ब्याज देने का आदेश नहीं दे सकता है, ब्याज का अनुदान मुख्य रूप से मध्यस्थ के विवेक पर आधारित होगा।

15. सईद अहमद एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 4 मामले में, इस न्यायालय ने अधीक्षण अभियंता और अन्य बनाम बी सुब्बा रेड्डी 5 के फैसले का उल्लेख किया और इस प्रकार टिप्पणी की:

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित दो और निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधीक्षण अभियंता बनाम बी सुब्बा रेड्डी (1999) 4 एससीसी 423 इस न्यायालय (1992) 1 एससीसी 508 2 (1996) 1 एससीसी 516 32010) 1 एससीसी 549 4 (2009) 12 एससीसी 26 (51999) 4 एससीसी 423
में न्यायालय ने माना कि पूर्व–संदर्भ अवधि के लिए ब्याज केवल तभी दिया जा सकता है जब उस आशय का कोई समझौता हुआ हो या यदि यह ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत स्वीकार्य हो। इसलिए, पूर्व–संदर्भ अवधि के लिए ब्याज के लिए दावे, जो समझौते के अनुसार या ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत निषिद्ध है, की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, इस अदालत ने कहा कि मध्यस्थ लंबित ब्याज और भविष्य के ब्याज का आदेश दे सकता है।

16. भारत संघ बनाम अंबिका कंस्ट्रक्शन (2017) 14 SCC 323 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति कई कारकों पर निर्भर करेगी जैसे कि; मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले समझौते के खंडों में प्रयुक्त वाक्यांशविज्ञान, दावे की प्रकृति और मध्यस्थ को संदर्भित विवाद, और किन मदों पर ब्याज देने की शक्ति छीन ली गई है और किस अवधि के लिए। अदालत ने कहा:

"34. इस प्रकार संदर्भ के लिए हमारा उत्तर यह है कि यदि अनुबंध स्पष्ट रूप से ब्याज देने पर रोक लगाता है, तो इसे मध्यस्थ द्वारा नहीं दिया जा सकता है। और यह कि देरी से भुगतान पर ब्याज देने की रोक को

आसानी से नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मध्यस्थ की शक्ति को इस न्यायालय के निर्णयों में उल्लिखित विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया जाना है, यह डिवीजन बेंच पर निर्भर करेगा कि वह गुण–दोष के आधार पर मामले पर विचार करे।

17. इसके अलावा, इस न्यायालय ने अंबिका कंस्ट्रक्शंस बनाम भारत संघ के मामले में अनुबंध में एक समान खंड पर विचार किया, जिसमें यह देखा गया कि जीसीसी का खंड मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकता है और मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करता है। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जीसीसी के खंड के आधार पर भारत संघ द्वारा उठाया गया यह तर्क कि मध्यस्थ लंबित ब्याज नहीं दे सकता है, एक वैध विवाद नहीं था और मध्यस्थ ब्याज देने में पूरी तरह से उचित था। भारत संघ बनाम अंबिका कंस्ट्रक्शन (सुप्रा) और सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य (सुप्रा) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज देने की रोक ब्याज के भुगतान से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

18. इस प्रकार जब किसी विवाद को मध्यस्थ के निर्णय के लिए भेजा जाता है, तो जीसीसी के खंड 16 (3) में निहित ऐसी प्रकृति का शब्द, जो पार्टियों पर बाध्यकारी है, को मध्यस्थ को बाध्य करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ के पास जहां उचित हो, वहां ब्याज देने की शक्ति होती है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और दावा संख्या 12 के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बहाल करते हैं।

19. तदनुसार अपील की स्वीकार की जाती है।

(तबरेज अहमद)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष सं०–10 बरेली

J.O CODE NO. UP 6298